क्रमांक 2407–5 जी0एस0–1–75/16971

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी, हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चंडीगढ़, 25 जून, 1975 ।

विषय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे।

महोदय, मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1507–5 जी0 एस0–1–73/8724, दिनांक 30 मार्च, 1973 क्रमांक 3049–5 जी0एस0–1–73/14393, दिनांक 5 जून, 1973 तथा क्रमांक 3077–5 जी0एस0–1–74/13841, दिनांक 13 जून, 1974 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिन में यह बताया गया था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा तीसरी श्रेणी के उन कर्मचारियों को जिन के पद का वेतनमान लिपिक के पद के वेतनमान से कम है जो मैट्रिक पास हों, और उसका काम तथा आचरण संतोषजनक हो, उन्हें उत्साह देने के लिए लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए, यदि उन्होंने ऐसे किसी पद पर कम से कम 5 वर्ष (13–6–74 से पहले 2 वर्ष) तक कार्य किया हो ।

2. हरियाणा सरकार के परिपत्र दिनांक 30–3–73 में बताई गई शर्त के अनुसार विभागों को ऐसे कर्मचारियो की लिपिकों के पद पर पदोन्नति पहले 6 मास के लिए तदर्थ आधार पर करनी होती है। यदि इस समय में कर्मचारी का काम संतोषजनक हो, तो उसकी नियमित नियुक्ति का अनुमोदन अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा से प्राप्त करना होता है। अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा ने यह सरकार के ध्यान में लाया है कि विभाग जब मण्डल को ऐसे कर्मचारियों की लिपिकों के पदों पर नियमित नियुक्ति के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजते हैं तो उनमें कई प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। कई प्रस्ताव अधूरे होते हैं जिससे मण्डल को अनुमोदन प्रदान करना कठिन होता है। ऐसे प्रस्तावों में समानता रखने के लिए सरकार ने विचार करके यह निर्णय किया है कि विभाग जब ऐसे कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव मण्डल को भेजते हैं तो उस प्रस्ताव में मण्डल को निम्नलिखित सूचना भी अवश्य भेजी जाए :—

(1) विशेष नियम या नियमों जिनके अन्तर्गत पदोन्नति की जाती है ।

(2) क्या संबंधित नियमों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के अनुपात की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है

(3) पदोन्नति के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव की न्यूनतम अवधि रखी गई है, उनको या तो सेवा नियमों में व्यवस्था हो, या वह मण्डल द्वारा अनुमोदित हो ।

(4) (क) पदोन्नति के लिए विचारार्थ कर्मचारियों के नाम

(ख) वरिष्ठता, सूचि में उनका स्थान

(ग) क्या वे उक्त पैरा (3) में दिए गए शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव तथा सेवा नियमों की दूसरी बातों को पूरा करते हैं ।

(5) क्या उक्त पैरा (4) के प्रस्ताव में कोई सुपर सैशन (supersession) इन बालवद (involved) तो नहीं है । यदि है तो ऐसे कर्मचारियों के नाम वरिष्ठता सूची में उनक स्थान तथा सुपर सैशन के ठोस कारण बताए जाएं ।

(6) कर्मचारियों के upto date character rolls ।

3. कृपया सुनिश्चित करें कि आप के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त हिदायतं का दृढ़ता से पालन किया जाए ।

भवदीय,
हस्ता0
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।